न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
सक्षम– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

यह निगरानी पकरण कमांक–2387–दो/2012 विरूद्ध पारित आदेश, दिनाक–29.–06–2012 तहसीलदार तहसील गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण कमांक–54/अ–12/2011–2012 एवं निगरानी प्रकरण कमांक– 559/तीन/2014 विरूद्ध पारित आदेश दिनांक–20.01.2014 तहसीलदार गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण कमांक– 01/अ–11/2013–2014.

1–भूपेन्द्र शर्मा तनय श्री मुद्रिका प्रसाद शर्मा उम्र 50 वर्ष
2–श्रीमती प्रभा शर्मा पत्नी श्री मुन्द्रिका प्रसाद शर्मा उम्र 50 वर्ष
निवासी ग्राम पुरास तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–संजना तिवारी पत्नी श्री चन्द्रकान्त तिवारी उम्र 35 वर्ष
निवासी ग्राम–पुरास तहसील गुढ़ जिला रीवा ।

.....अनावेदक

श्री उमेश चतुर्वेदी अभिभाषक आवेदक
श्री राकेश कुमार निगम अभिभाषक अनावेदक

::

आ दे श ::

(पारित दिनांक– 29-9-15 2015)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार गुढ़ जिला रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक–29.–06–2012 एवं आदेश दिनांक–20.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2/ विषयांतर्गत राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत दो निगरानी प्रकरण कमांक–559–तीन–2014 एवं 2387–दो–2012 मौटे तौर पर समान पक्षकारों एवं एक ही मूल वाद विषय से संबंधित होने के कारण एक ही आदेश के माध्यम से निराकृत की जा रही है । निगरानी प्र0क0–2387/दो/2012 तहसील गुढ़ जिला रीवा के

प्र0क्रमांक–54/अ–11/2011–2012 में पारित आदेश दिनांक–29.06.2012 के विरूद्ध है तथा निगरानी प्रकरण क्रमांक–559/तीन/2014 तहसीलदार गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक–01/तीन/2013–2014 में पारित आदेश दिनांक–20.01.2014 के विरूद्ध है ।

2/ दोनों निगरानियों में निगराकार श्री मुन्द्रिका प्रसाद की पत्नी श्रीमती प्रभा शर्मा है तथा गैर निगराकार श्रीमती संजना तिवारी है । प्रकरण क्रमांक–2387/दो/2012 में म0प्र0 शासन को भी गैर निगराकार बनाया गया है । तथा प्रकरण क्रमांक–559/तीन/2014 में श्री मुन्द्रिका प्रसाद के पुत्र भूपेन्द्र शर्मा को भी निगराकार बनाया गया है ।

3/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है –गैर निगराकार श्रीमती संजना तिवारी द्वारा दिनांक–02.06.2011 को श्री विजयशंकर से खसरा नं0 861/2 रकवा 0.016 है0 ग्राम पुरास तहसील गुढ़ जिला रीवा की भूमि क्रय की गयी जिसके सीमांकन के लिए उन्होने विक्रय पत्र की छाया प्रति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक–15.05.2012 को आवेदन लगाया, जिसके अनुसार इस भूमि के दक्षिण एवं पूर्व में प्रभादेवी की भूमि, उत्तर में शिवानंद की भूमि तथा पश्चिम में सड़क है। तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से सीमांकन प्रतिवेदन आहूत किया गया । सीमांकन हेतु जारी आम सूचना दिनांक–16.05.2012 में सीमांकन हेतु तारीख 27.05.2012 लिखी है । जो देखने पर स्पष्टतः 28.05.2012 पर उपरलेखन करके लिखी गयी है । इस आम सूचना पत्र में यह लिखा है कि प्रभादेवी शर्मा (निगराकार) ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया । स्थल पंचनामा दिनांक–01.06.2012 में यह लिखा है कि सर्वे क्रमांक–861/2 का सीमांकन सरहदी कृषकों की उपस्थिति में किया गया तथा पत्थर गढवाए गये किन्तु इसमें प्रभादेवी के हस्ताक्षर नहीं पाये जाते हैं । यह स्थल पंचनामा दिनांक–01.06.2012 लिखते हुए तैयार किया गया है (हालांकि इसमें भी दिनांक–01.06.2012 पर दो जगह उपरलेखन/ओवर राइटिंग नजर आती है)। दिनांक–04.06.2012 को प्रभादेवी द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रकरण में आपत्ति पेश की गयी जिसमें उन्होंने सीमांकन की कार्यवाही उन्हें बिना सूचना दिए एवं बिना बताए हो जाने का उल्लेख किया । राजस्व निरीक्षक द्वारा अपना प्रतिवेदन दिनांक–8.6.2012 को तहसीलदार को देने के लिए तैयार किया गया । दिनांक–29.6.12 को तहसीलदार द्वारा यह लिखते हुए कि उनके द्वारा आपत्तिकर्ता (प्रभादेवी) को सुना गया, वह सीमांकन के समय मौजूद थी लेकिन सूचना पत्र में हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया, उक्त आपत्ति निरस्त करते हुए सीमांकन की पुष्टि करने का आदेश जारी कर दिया । इस आदेश दिनांक–29.6.12 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी क्रमांक–2387/दो/12 प्रस्तुत हुई जिसमें निगराकार प्रभा शर्मा द्वारा सूचना बगैर सीमांकन हो

जाने के अतिरिक्त यह बिन्दु भी उठाया गया कि सीमांकन करने के पूर्व नक्शा तरमीम नहीं किया गया ।

4/ राजस्व मण्डल के समक्ष दूसरी निगरानी 559/तीन/14 तहसीलदार के आदेश दिनांक–20.1.14 के विरूद्ध है । यह आदेश तहसीलदार द्वारा उनके प्रकरण कमांक–1/अ–11/13–14 में पारित किया गया था जिसमें गैर निगराकार संजना तिवारी आवेदिका थी तथा भूपेन्द्र शर्मा अनावेदक थें । तहसीलदार के समक्ष यह प्रकरण संजना तिवारी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक–17.7.12 के आधार पर कायम हुआ था जिसमें प्रभादेवी इत्यादि द्वारा सर्वे कमांक–861/2 पर जून 2012 में हुए सीमांकन के तीन तरफ के पत्थर उखाड़ कर फेंकं देने की शिकायत की थी । प्रकरण में तहसीलदार ने पटवारी का प्रतिवेदन बुलाया जिसमें उन्होंने इस प्रकार सीमांकन के पत्थर उखाड़कर फेंके जाने की बात की पुष्टि की, जिस आधार पर तहसीलदार ने दिनांक–20.1.14 को आदेश पारित कर 50/– अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए भविष्य में सीमा चिन्ह न उखाड़ने की हिदायत दी। इस प्रकरण में प्रस्तुत निगरानी मेमो में प्रभा इत्यादि द्वारा यह कहा गया कि उनके विरूद्ध बिना सूचना के एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है, जवकि तहसीलदार के अनुवृत्ति पत्र में दिनांक–27.3.13 को यह लिखा गया है कि अनावेदक गण द्वारा नोटिस लेने से इन्कार किया एवं 25.6.13 को नोटिस चस्पा से तामील होना लिखा ।

5/ प्रकरण में दोनो विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये एवं उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को का भी परिशीलन किया गया ।

निगराकार द्वारा अपने तर्क में प्रमुखता से यही कहा गया कि बिना सूचना एवं बिना तरमीम के किया गया सीमांकन अवैधानिक है, जबकि वह सरहदी कास्तकार हैं । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सीमांकन के पत्थर उखाड़कर फेंकने की बात बनावटी है । निगराकार की भूमि सर्वे कमांक–861/3, जो सीमांकन से संबंधित सर्वे कमांक–861/2 की सीमावर्ती भूमि है, का रकबा भी निगराकार की भूमि में दबाया जाकर सीमांकन करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे निगराकार परिवेदित है । उन्होने यह भी कहा कि प्रकरण कमांक–2387/दो/12 में संजना तिवारी का पक्ष राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत हो चुका था एवं उसे प्रकरण के स्थगन की जानकारी थी, इसके बावजूद तहसीलदार का आदेश दिनांक–20.1.14 पारित होना अनुपयुक्त है ।

गैर निगराकार द्वारा अपने तर्क में प्रमुखता से यही कहा गया कि निगराकार प्रभा आदि द्वारा बार–बार सूचना प्राप्त करने से इन्कार किया गया है अतः समय–समय पर, विशेषकर सीमांकन के समय, उनकी उपस्थिति एवं जानकारी मानी जानी चाहिए । सर्वे कमांक–861/2 उनके द्वारा विधिवत क्रय की गयी भूमि है जिसका वह सीमांकन कराना चाहते हैं । यदि निगराकार प्रभा इत्यादि अपनी भूमि का सीमांकन कराना चाहते है तो वे इसके लिए पृथक से आवेदन कर सकते हैं । पत्थर उखाड़ने के संबंध में उन्होंने पुलिस थाने में प्रकरण दायर होने का भी हवाला लिया।

6/ मेरे द्वारा प्रकरण की नस्ती में उपलब्ध समस्त अभिलेखों का परिशीलन किया गया एवं दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा प्रकरण के समस्त विचारणीय बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार किया गया । इस आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि निगराकार प्रभा इत्यादि द्वारा सूचना लेने से या हस्ताक्षर करने से इन्कार किया हो अथवा मौके से सीमांकन के पत्थर उखाड़े हों, इन बातों से इन्कार नहीं किया जा सकता । किन्तु साथ–2 मेरे द्वारा यह भी देखा गया कि उपलब्ध अभिलेखों में सर्वे कमांक–861/2 एवं 861/3 के मध्य नक्शा तरमीम हुए होने का कोई प्रमाण अथवा अभिलेख उपलब्ध नहीं है । गैर निगराकार संजना तिवारी द्वारा जिस विक्रय पत्र के माध्यम से सर्वे कमांक–861/2 रकवा 0.016 है0 क्रय किए जाने का दावा किया जा रहा है, उस विक्रय पत्र की मूल प्रति, या प्रमाणित छायाप्रति, जिससे यह स्थापित हो सके कि यह विक्रय पत्र वास्तविक है एवं इस विक्रयपत्र को उप पंजीयक के कार्यालय में पंजीयत किया गया है, भी उपलब्ध अभिलेखों में अवलोकनीय नहीं हैं, हालांकि खसरे की एक कम्प्यूटराइज प्रिंट है जिसमें 861/2 पर संजना तिवारी का नाम लिखा है, जो प्रकरण में देखा जा सकता है । ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के अपनी–अपनी भूमियों पर विधिवत अधिकार होने संबंधी अभिलेख, प्रमाण–स्वरूप प्रकरण में समाधानकारक तौर पर देखने को नहीं मिल पाये है । साथ ही सर्वे कमांक–861/2 एवं 861/3 के मध्य बाकायदा नक्शे पर तरमीम हुई हो, इस संबंध में भी अभिलेखीय प्रमाण नस्ती पर देखने को नहीं मिल पाये हैं । ऐसे में इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 861/2 पर संजना तिवारी के आवेदन उपरांत किए जा रहे सीमांकन की कार्यवाही में प्रभा आदि की भूमि दबने से उनके (प्रभा आदि के) वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित हो रहे हों । सम्भवतः इसी बाता के चलते निगराकार पक्ष द्वारा मौके की कथित कार्यवाहियों में भागीदारी नहीं की जा रही एवं समय–2 पर आपत्ति की गयी है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के क्रम में मैं यह दोनों निगरानी प्रकरण राजस्व मण्डल से समाप्त करने का निर्णय लेता हूं एवं तहसीलदार गुढ़ जिला रीवा को यह निर्देश देता हूँ कि –

1. वह अपने न्यायालय का प्रकरण क्रमांक–54/अ–12/11–12 पुनः खोलें तथा उसमें दोनों पक्षों के स्वामित्व बाबत् दावों के अभिलेखीय आधारों का पुनः परीक्षण करें ।

इस आधार पर, दोनों पक्षों की भूमियों के स्वामित्व के अभिलेख सुदृढ़ एवं स्पष्ट करते हुए, पहले यह सुनिश्चित करें कि दोनों पक्षों की भूमियों की सीमाएं राजस्व नक्शे पर बाकायदा तरमीम के आधार पर दिखाई दे रही हो जो कि उनकी भूमियों में वैधानिक स्वामित्व के अधिकारों पर ही आधारित हो । ऐसा करने के उपरांत मौके पर सीमांकन की कार्यवाही करते हुए सीमांकन की आवेदिका संजना तिवारी की भूमि को इस प्रकार सीमांकन कर मौके पर निर्धारित किया जावे कि उसमें निगराकार प्रभा आदि अथवा किसी अन्य सरहदी कृषक या हितवद्ध पक्षकार की भूमियो में कोई भी अंश नहीं दबे एवं उनके वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित नहीं हों । समस्त कार्यवाही के दौरान समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पत्र एवं सुनवाई के अवसर विधिवत दिए जावें ।

2. तहसीलदार का आदेश दिनांक–20.1.2014 उपरोक्त बिन्दु 1 में उल्लेखित समस्त कार्यवाही के पूर्ण होने तक के लिए स्थगित रखा जावे एवं उसके बाद ही उसमें उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार की गयी कार्यवाही के प्रकाश में योग्य एवं उचित कार्यवाही आवश्यकतानुसार करने पर विचार किया जावे ।

दोनों प्रकरण राजस्व मण्डल से समाप्त किए जाते हैं । पक्षकार सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर